भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
लोक सभा
****

अतारांकित प्रश्न संख्या :2813

(दिनांक 10.07.2019 को उत्तर के लिए)

सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति

2813. श्री ए. राजा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर में कुछ सरकारी अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का आदेश दिया है
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) उन अधिकारियों की संख्या का ब्यौरा क्या है जिनके खिलाफ आरोप साबित हो चुके हैं और उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनके खिलाफ मामला विचाराधीन है;
(घ) क्या सरकार ने उन अधिकारियों को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का आदेश दिया है जिनके खिलाफ अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं और उनका मामला अभी भी विचाराधीन है; और
(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उन्हें किस आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दिया गया है ?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह

(क) से (ड.) : लागू अनुसाशनिक नियमों के अनुसार, सरकार को यह अधिकार है कि वह उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करे। सरकार को इस बात का भी पूर्ण अधिकार है कि सत्यनिष्ठा की कमी तथा निम्न कार्य-निष्पादन के आधार पर मूल नियमावली (एफआर) 56(जे)(I), केंद्रीय लोक सेवा (सीसीएस पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 तथा अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु -सह- सेवानिवृति लाभ) [एआईएस(डीसीआरबी)] नियमावली 1958 के नियम 16 (3) के प्रावधानों के अनुसार लोक हित में अधिकारियों को समय-पूर्व सेवानिवृत कर दे। ये नियम सरकारी सेवकों की समय-पूर्व सेवा निवृति और आवधिक समीक्षा के नीति को निर्धारित करते हैं और यह एक सतत प्रक्रिया है।

जुलाई 2014 से मई 2019 की अवधि के दौरान, एफआर 56(जे)/समरूप प्रावधानों के अंतर्गत समूह 'क' के कुल 36,756 तथा समूह 'ख' के कुल 82,654 अधिकारियों की समीक्षा की गई जिसमे से समूह 'क' के 125 तथा समूह 'ख' के 187 अधिकारियों के विरुद्ध एफआर 56(जे)/समरूप प्रावधानों को लागू किया गया/सिफारिश की गई।

******